भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 842

दिनांक 26 जुलाई, 2024 को उत्तर के लिए

कुपोषण संबंधी अनुसंधान

842. श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी:

श्री जी.एम. हरीश बालयोगी:

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :-

(क) क्या सरकार ने देश में कुपोषण और महिलाओं तथा बच्चों पर इसके प्रभाव के संबंध में कोई अनुसंधान/अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो विगत पांच वर्षों के दौरान कुपोषण के कारण होने वाली बीमारियों से पीड़ित 18 वर्ष से कम आयु के उन बच्चों (पुरुष और महिला) का राज्य-वार, विशेषकर आंध्र प्रदेश में ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान कुपोषण के कारण होने वाली विभिन्न बीमारियों से पीड़ित 18-65 वर्ष की चिन्हित की गई महिलाओं की राज्य-वार विशेषकर आंध्र प्रदेश में कुल संख्या कितनी है;

(घ) सरकार द्वारा विगत दस वर्षों के दौरान देश में कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए प्रस्तुत और कार्यान्वित की गई योजनाओं/परियोजनाओं/पहलों का ब्यौरा क्या है; और

(ड.) इन योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य-वार, विशेषकर आंध्र प्रदेश में कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई हैं?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास मंत्री

(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क) से (ग) : नीति आयोग ने पोषण अभियान का तृतीय पक्ष मूल्यांकन और प्रभाव का आकलन 2020 में आयोजित किया था और कुपोषण को दूर करने की दिशा में इसकी प्रासंगिकता संतोषजनक पाई गई ।

मंत्रालय द्वारा कराए गए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) के अंतर्गत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय 18 वर्ष की आयु तक के बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य एवं रोगों संबंधी आंकडे रख रहा है। एनएफएचएस-5 की रिपोर्ट राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण पोर्टल (http://rchiips.org/nfhs/ factsheet_nfhs-5.shtml). पर उपलब्ध है।

एनएफएचएस-5 (2019-21) की रिपोर्ट के अनुसार, एनएफएचएस -4 (2015-16) की तुलना में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के पोषण संकेतकों में सुधार हुआ है। दुबलापन 38.4% से घटकर 35.5% हो गया है, जबकि ठिगनापन 21.0% से घटकर 19.3% हो गया है और अल्पवजन की व्यापकता 35.8% से घटकर 32.1% हो गई है।

इसके अलावा, जून 2024 के पोषण ट्रैकर के आंकड़ों के अनुसार, 6 साल से कम उम्र के लगभग 8.57 करोड़ बच्चों को मापा गया जिनमें से 35% बच्चों में ठिगनापन पाया गया और सिर्फ 17% बच्चों अल्पवजन के पाए गए और 5 वर्ष की आयु से कम केवल 6% बच्चों में दुबलापन पाया गया। पोषण ट्रैकर से प्राप्त बच्चों में अल्पवजन और दुबलेपन का स्तर एनएफएचएस 5 में प्रस्तावित स्तर से बहुत कम है।

(घ) : वर्ष 2021 में, 15वें वित्त आयोग के तहत आंगनवाड़ी सेवाओं, पोषण अभियान और किशोरियों की योजना (आकांक्षी ज़िलों और उत्तर-पूर्व क्षेत्र में 14-18 वर्ष) को मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 (मिशन पोषण 2.0) के तहत शामिल किया गया।

मिशन पोषण 2.0 का उद्देश्य पोषण सामग्री और प्रदायगी में रणनीतिक बदलाव के माध्यम से बच्चों (0-6 वर्ष), किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं में कुपोषण की चुनौतियों का समाधान करना है और स्वास्थ्य, कल्याण और प्रतिरक्षा का पोषण करने वाली प्रथाओं को विकसित करने और बढ़ावा देने के लिए अभिसरण पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है। मिशन पोषण 2.0 ठिगनेपन और एनीमिया के अतिरिक्त दुबलेपन और अल्पवजन की व्यापकता को कम करने के लिए आयुष प्रथाओं के माध्यम से मातृ पोषण, शिशु और छोटे बच्चों के आहार मानदंडों, एसएएम/एमएएम के उपचार और कल्याण पर केंद्रित है।

पूरक पोषण मानक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की अनुसूची-II में निहित पोषण मानकों के अनुसार प्रदान किए जाते हैं। कुपोषण की चुनौती से अधिक प्रभावी ढंग से निपटने के लिए इन पोषण मानकों को संशोधित किया गया है। पुराने पोषण मानक अधिकांशत कैलोरी-विशिष्ट थे, तथापि, संशोधित कुपोषण मानदंड विविध आहार संबंधी सिद्धांतों पर आधारित पूरक पोषण की मात्रा एवं गुणवत्ता दोनों की दृष्टि से अधिक व्यापक एवं संतुलित हैं जिससे गुणवत्तायुक्त प्रोटीन, स्वस्थ वसा एवं सूक्ष्म पोषक तत्व मिलते हैं।

सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों को केवल फोर्टीफाइड चावल की आपूर्ति की जा रही है। लाभार्थियों के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों पर सप्ताह में कम से कम एक बार गर्म पका हुआ भोजन तैयार करने और टेक होम राशन (टीएचआर - कच्चा राशन नहीं) के लिए बाजरा के उपयोग पर अधिक बल दिया जा रहा है।

संबंधित रुग्णता और मृत्यु दर को कम करने के लिए गंभीर तीव्र कुपोषित बच्चों में कुपोषण को रोकने और इलाज के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने संयुक्त रूप से कुपोषण के सामुदायिक प्रबंधन (सीएमएएम) के लिए प्रोटोकॉल जारी किया ।

मिशन पोषण 2.0 के तहत, पोषण संबंधी पहलुओं पर लोगों को शिक्षित करने के लिए की गई प्रमुख गतिविधियों में से सामुदायिक जुटाव और जन आंदोलन के लिए एडवोकेसी लीडिंग जागरुकता कार्यक्रम है। अब तक, सितंबर और मार्च-अप्रैल के महीनों में मनाए गए 6 पोषण माह और 6 पोषण पखवाड़ों के माध्यम से सामुदायिक भागीदारी कार्यक्रमों के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 100 करोड़ से अधिक संवेदीकरण गतिविधियों की सूचना दी गई है। समुदाय आधारित कार्यक्रमों (सीबीई) ने पोषण प्रथाओं को बदलने में एक महत्वपूर्ण रणनीति के रूप में काम किया है और अब तक 5 करोड़ के करीब समुदाय आधारित कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

(घ) : आंध्र प्रदेश सहित विगत तीन वर्षों के दौरान मिशन पोषण् 2.0 आवंटित और उपयोग की गई निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

*****

अनुलग्नक-I

श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी और श्री जी.एम. हरीश बालयोगी द्वारा दिनांक 26.07.2024 को "कुपोषण पर अनुसंधान" विषय पर पूछे जाने लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 842 के उत्तर के भाग (ड.) में संदर्भित अनुलग्नक

विगत तीन वर्षों के दौरान मिशन पोषण 2.0 के तहत आवंटित और उपयोग की गई निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण :

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार	रुपये लाख रुपये में	
	जारी की गई निधियां	उपयोग की गई निधियां
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	4090.25	1724.67
आंध्र प्रदेश	227807.36	147135.8
अरुणाचल प्रदेश	47067.18	37650.84
असम	520483.75	314919.65
बिहार	517381.21	319462.13
चंडीगढ़	6944.19	5741.08
छतीसगढ़	185515.17	109452.46
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	2709.98	1535.86
दिल्ली	47768.96	26836
गोवा	3949.1	2974.8
गुजरात	287930.38	131022.58
हरियाणा	59406.63	29723.12
हिमाचल प्रदेश	81931.42	63443.67
जम्मू और कश्मीर	141563.2	112079.693
झारखंड	144819.23	77933.57
कर्नाटक	268253.63	187026.45
केरल	113984.77	72341.34
लद्दाख	5310.08	3345.97
लक्षद्वीप	542.81	316.82
मध्य प्रदेश	322015.1	209449.98
महाराष्ट्र	505907.68	319898.91
मणिपुर	56615.41	34502
मेघालय	63540.58	37810.4

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार	रुपये लाख रुपये में	
	जारी की गई निधियां	उपयोग की गई निधियां
मिजोरम	20992.66	11459.45
नागालैंड	62561.13	35067.87
ओडिशा	308713.07	175616.46
पुदुचेरी	737.07	1280.75
पंजाब	76669.65	42518.76
राजस्थान	274862.9	170781.2
सिक्किम	7954.4	4867.7
तमिलनाडु	230297.76	142257.69
तेलंगाना	154088.43	98262.98
त्रिपुरा	58146.75	35820.4
उत्तर प्रदेश	779811.2	496455
उत्तराखंड	106773.6	70079.63
पश्चिम बंगाल	313350.29	283419.25

* *31.03.2024* के अनुसार उपयोग की गई निधि के आंकड़े हैं।

*****